राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.... निग.-873 I 15 .... जिला ...... टीकमगढ़ ....

राजस्व/2015/शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-6-15	1— यह प्रकरण आवेदक के आवेदन के आधार पर लिया गया आवेदक अधिवक्ता द्वारा 41/27 के आवेदन के साथ अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की। यह निगरानी न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़(म.प्र.) के रा. प. क्र. /107/बी-121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 31-03-2015 के विरूद्व म0 प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर तर्क में कहा गया है कि संहिता की धारा 165(7) ख, के अनुसार बिना कलेक्टर महोदय की स्वीकृति के कोई पट्टेदार अपनी भूमि विक्रय नहीं कर सकता है, परंतु संहिता की धारा 158(3) में यह व्यवस्था दी गई कि पट्टेदार 10 वर्ष बाद भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद अपनी भूमि का विक्रय बिना कलेक्टर महोदय की अनुमति के भी कर सकता है। 3— आवेदक की ओर से तर्क दिया गया है कि इस प्रकरण में शिकायतकर्ता के आवेदन के आधार पर प्रकरण प्रारंभ किया गया है विवादित भूमि पट्टे पर प्राप्त होना बताई गई जिसका रजिस्टर्ड विक्रय के आधार दिनांक 17.06.2005 मे आवेदक द्वारा क्रय किया था। क्रेता के नाम नामांतरण भी किया जा चुका था। इस कारण प्रस्तुत जबाव के आधार कार्यावाही समाप्त की जाना थी। यह भी तर्क किया गया है कि इस प्रकरण में पट्टा किस वर्ष में जारी किया गया है। यह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं दर्शाया गया जबकि खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि वर्ष 1986-87 की प्रस्तुत की गई है। जिसमें पट्टेदार को भूमि स्वामी हक उल्लेखित किया गया है। म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक 16-1/84/07/2ए दिनांक 9/2/84 को पटटेदार अनावेदक को भूमिस्वामी अधिकार प्रदाय किए गए थे। इस कारण अंतरण पश्चात विक्रय दिनांक 17/06/2005 को किया गया अंतरण भूमि स्वामी हक प्राप्त हो जाने के उपरांत अवैद्य नहीं माना जा सकता। ऐंसी स्थिति मे प्रस्तावित कार्यवाही एवं पारित आदेश उपरोक्त इस प्रकरण में प्रभावशील नहीं है, जैसा कि रे.नि. 2004 पृष्ठ 183 दयाली तथा 1 अन्य विरूद्व महिला श्यामबाई व अन्य में भी मान्य किया गया है कि, धारा 165(7-ख)-	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ आदि के हस्त
	सरकारी पट्टेदार द्वारा आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् भूमि स्वामी अधिकार अर्जित–भूमि का विक्रय कर सकता है– कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नहीं। इसी प्रकार का अभिमत माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधीन एस.के. गंगेले ने इसी वर्ष 2013 में प्रकरण आधुनिक गृह निमार्ण सहकारी समिति मर्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य में मान्य किया है। जो इस प्रकरण में प्रभावशील है। राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.–44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। उपरोक्त उल्लेखित न्यायिक दृष्टांत उच्च न्यायालय रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदक को किया गया नामांतरण आदेश स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 31–03–2015 निरस्त करने का अनुरोध किया है। 4– मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजो तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दिये गये आवेदन के आधार पर स्वमेंव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया गया है। प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1985–86 के खसरा में विक्रेता के नाम भूमि स्वामी हैसियत से दर्ज है भूमि का विक्रय वर्ष 2005 में किया गया है। जो 10 वर्ष पश्चात् किया जाना पाया जाता है। ऐंसी स्थिति में पट्टेदार को भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद किया गया अंतरण अवैध नही माना जा सकता। आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ। 5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–03–2015 निरस्त किया जाता है। सदस्य	

निगरानी 873-I-15

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

महिला रामकुंवर पत्नि सीताराम यादव
निवासी ग्राम वैरवार तह. जतारा .....आवेदक

//विरूद्ध//

म.प्र. शासन .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक ने न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) के राजस्व प्रकरण क्रमाँक/107/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 31–03–2015 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, अनावेदक कमांक 2 के आवेदन पर प्रकरण में कार्यावाही करते हुए विवादित भूमि को 165(7–ख) का उल्लंघन होने का आधार लेते हुए प्रकरण शासन में दर्ज किए जाने का विवादित आदेश पारित किए जाने से परिवेदित होकर यह निगरानी श्रीमान के समक्ष विधिवत् रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि, विवादित भूमि खसरा नंबर 1664/1/3 का पट्टा शासन द्वारा अनावेदक कमांक 1 को आवंटित किया गया था। जो फौत हो चुके है उनके भूमि स्वामित्व की भूमि आवेदक द्वारा वर्ष 2005 में क्रय की है जबकि उनके भूमि स्वामित्व के खसरा पांचसाला की प्रति 1980–81 से 86–87 में भूमि स्वामी दर्ज है। भू–राजस्व संहिता की धारा 165(7–ख) में संशोधन के प्रावधान अनुसार बिना कलेक्टर महोदय की स्वीकृति के कोई भी पट्टेदार अपनी भूमि विक्रय नहीं कर सकता परंतु इस प्रावधान में संशोधन धारा 158(3) में यह व्यवस्था दी गई पट्टेदार 10 वर्ष बाद अपनी भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद अपनी भूमि का विक्रय बिना कलेक्टर महोदय की अनुमति के कर सकता है। शिकायतकर्ता गुल्ली के आवेदन पर विवादित भूमि खसरा नंबर 1664/1/2 एवं 1664/1/3 को आवेदक ने बिना किसी वैद्य अधिकार के एवं बिना श्रीमान कलेक्टर से विक्रय की अनुमति प्राप्त किए दिनांक 17–06–2005 को क्रय किया है और आवेदक ने अपने पक्ष में नामांतरण करा लिया है शिकायतकर्ता द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया है कि विक्रेता पट्टेदार को भूमि कब पट्टे पर प्रदान की गई थी जबकि वर्ष 1986–87, 1987–88, 1988–89, के खसरा पांचसाला में विक्रेता जगन्नाथ का नाम भूमि स्वामी हैसियत से दर्ज चला आ रहा है।